Sixteenth Loksabha

pan>

Title: Need to publish names of 281 signatories in printed copies of our Constitution.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं । आपकी अनुमति से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सदन के समक्ष रखना चाहती हूं। यह विषय न केवल हमारे अतीत से, बल्कि हमारी संस्कृति से भी सम्बन्ध रखता है और वह है, भारत का संविधान। जो भारत का संविधान है, वह हमारे मौलिक चिंतन से लेकर, कार्यशैली, प्रशासनिक व्यवस्था और तमाम जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा ग्रंथ है, जो हमें एक दिशा दिखाता है। इसी ग्रंथ के माध्यम से हमें राइट टू नो प्राप्त हुआ है, लेकिन यह जो ज्ञान है, यह खुद आधा-अधूरा जनता को मिलता है। इसका कारण है कि जो संविधान सभा थी, उसके 281 सदस्य थे, जिनके हस्तलिखित मौलिक संविधान के अंदर हस्ताक्षर हैं और साथ ही तकरीबन 28 उसके अंदर रेखाचित्र हैं, जो कि उन सभा सदस्यों की मर्जी से उसमें डाले गए थे । जो संविधान की प्रति जन-सामान्य को प्राप्त है, उसके अंदर न तो उन 281 सभा सदस्यों की सूची है और न ही उसके अंदर वे 28 चित्र किसी को प्राप्त होते हैं।

मैं आपकी अनुमति से यह मांग करती हूं कि जो लॉ जस्टिस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का है, लेजिस्लेटिव ब्रांच है, वह इस संविधान की प्रति आम जन को दे, जो कि भारत की आत्मा से जुड़ा है। जिसमें ये 281, जिन्होंने यह संविधान सभा में लिखा उनकी सूची, दूसरा – जितने उसमें रेखाचित्र हैं, वे साथ लगे हों और तीसरा - पार्ट 12 के पहले एक नटराज जी का रेखाचित्र है, जो कि खण्डित नटराज जी हैं और साथ में उल्टा स्वास्तिक बना हुआ है। उसको करेक्ट करके यह सूची, यह संविधान जनता को उपलब्ध कराया जाए ।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और *m05 श्री राजेन्द्र अग्रवाल को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।